बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–01, दिनांक–

संख्या–1/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं०................../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 8830 दिनांक 19.05.2026 के आलोक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(2) के साथ पठित धारा–8 के अन्तर्गत निम्नांकित स्तंभ–02 में अंकित पदाधिकारी को उनकें नाम के सामने स्तंभ–3 में अंकित औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है :–

| क्र० | नाम, पदनाम एवं पूर्व पदस्थापन | नव पदस्थापन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री विजय आनन्द तिवारी,<br>पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर। | पीठासीन पदाधिकारी<br>औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना। |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

( राजीव रंजन )

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं०......01....../पटना, दिनांक– 21/5/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/ अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी/सभी श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.5.26

सरकार के संयुक्त सचिव

office order s.r.-3u